



प्रेस व्हिप्टि

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 05-05-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स इलाइट फालकनस प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बी मत व्यक्ति श्री दिलीप पासवान जो गाँधी मैदान पटना में सुरक्षा कर्मी के पद पर कार्यरत थे, उनकी आ श्रता पत्नी- नीरु देवी, माता-सुनैना देवी, पुत्र- आ शक कुमार, पुत्री - संजना कुमारी, पुत्री- तनिया कुमारी, को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आ श्रत हितलाभ प्रदान कर्यालय द्वारा गया और संवेदना व्यक्त की गयी।

स्व. दिलीप पासवान की मृत्यु कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी। वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आ र्थक रूप से उन पर निर्भर था। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आ श्रतों के लए मा सक पेंशन स्वीकृत कर्यालय द्वारा आ श्रतों को मलेगा। दुर्घटना की तिथि से आज तक लगभग 1,57,341 रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित कर्यालय द्वारा रकम दिया जारहा है।

उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बी मत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आ श्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मा सक आ श्रत पेंशन दिया जाता है।

क्षेत्रीय निदेशक